



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-21032026-271169
CG-TL-E-21032026-271169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1352]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1417(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), केंद्र सरकार इस तथ्य से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुसूची में संलग्न भूमि का संक्षिप्त विवरण, आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले के भीमडोलु मंडल के भीमडोलु ग्राम में स्थित भीमडोलु यार्ड में किमी 507/32-34 पर समपार संख्या 361 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण, नामक विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, एलुरु को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी,

एलुरु आपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (CALA) द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरण उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी (CALA) के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरु जिले के भीमडोलु मंडल के भीमडोलु ग्राम में स्थित भीमडोलु यार्ड में किमी 507/32-34 पर समपार संख्या 361 के स्थान पर सड़क उपरि सेतु के निर्माण।

ग्राम: भीमडोलु		मंडल: भीमडोलु		जिला: एलुरु	
क्रसं.	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार (सरकारी / निजी)	भूमि का स्वरूप (सूखी / गीली)
1	78/1A	0.136	0.055	सरकारी भूमि	ग्रामकंठम
2	91/3	0.092	0.037	पट्टा	सूखी
3	92	0.327	0.132	सरकारी भूमि	बंडी दारी
4	153/1	0.320	0.129	सरकारी भूमि	बंडी दारी
5	158	0.095	0.038	पट्टा	गीली
6	160/2	0.279	0.113	पट्टा	गीली
7	160/3	0.598	0.242	पट्टा	गीली
8	161	0.275	0.111	पट्टा	गीली
9	166/2A, 166/3A 166/4A, 166/5A	0.410	0.166	सरकारी भूमि	जि. प. सड़क
10	166/5B	0.350	0.142	पट्टा	सूखी
11	170/1	0.018	0.007	सरकारी भूमि	रेलवे
12	170/2	0.014	0.006	सरकारी भूमि	रेलवे
13	170/3	0.650	0.263	सरकारी भूमि	रेलवे
14	171/1	0.378	0.153	सरकारी भूमि	रेलवे
15	171/2A	0.733	0.297	पट्टा	सूखी
16	171/2B	0.226	0.091	पट्टा	सूखी
17	171/2C	0.394	0.159	पट्टा	सूखी
18	173	1.053	0.426	पट्टा	गीली
19	174/1	0.088	0.036	पट्टा	सूखी
20	174/2	0.055	0.022	पट्टा	सूखी

21	270	0.737	0.298	सरकारी भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग
22	283	0.982	0.397	सरकारी भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग
Total		8.210	3.320		

[फा. सं. RSP/Gazette/20A/LC.No.361/BZA-VSKP/BZA]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 16th March 2026

S.O. 1417(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of The Special Railway Project namely, “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing (LC) No. 361 at Km. 507/32–34 in Bhimadolu yard” in Bhimadolu Village of Bhimadolu Mandal in Eluru District in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intension to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Eluru in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Eluru shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing (LC) No. 361 at Km. 507/32–34 in Bhimadolu Yard in Bhimadolu Village of Bhimadolu Mandal in Eluru District in the State of Andhra Pradesh.

Village: Bhimadolu		Mandal: Bhimadolu		District: Eluru	
SI NO	Survey Number	Extent of area In Acres	Extent of area In Hectares	Type of land (Govt Land/Pvt)	Nature Of Land (Wet/Dry)
1	78/1A	0.136	0.055	Govt. Land	Gramakantam
2	91/3	0.092	0.037	Patta	Dry
3	92	0.327	0.132	Govt. Land	Bandi Dari
4	153/1	0.320	0.129	Govt. Land	Bandi Dari
5	158	0.095	0.038	Patta	Wet
6	160/2	0.279	0.113	Patta	Wet
7	160/3	0.598	0.242	Patta	Wet
8	161	0.275	0.111	Patta	Wet
9	166/2A, 166/3A 166/4A, 166/5A	0.410	0.166	Govt.Land	ZP road

10	166/5B	0.350	0.142	Patta	Dry
11	170/1	0.018	0.007	Govt. Land	Railway
12	170/2	0.014	0.006	Govt. Land	Railway
13	170/3	0.650	0.263	Govt. Land	Railway
14	171/1	0.378	0.153	Govt. Land	Railway
15	171/2A	0.733	0.297	Patta	Dry
16	171/2B	0.226	0.091	Patta	Dry
17	171/2C	0.394	0.159	Patta	Dry
18	173	1.053	0.426	Patta	Wet
19	174/1	0.088	0.036	Patta	Dry
20	174/2	0.055	0.022	Patta	Dry
21	270	0.737	0.298	Govt.Land	National Highway
22	283	0.982	0.397	Govt.Land	National Highway
Total		8.210	3.320		

[F. No. RSP/Gazette/20A/LC.No.361/BZA-VSKP/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP